



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276394
CG-DL-E-22092026-276394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 20]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

सं. ए-22013/1/2019-प्रशासन(ख).— सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री मोहित सूद, अधीक्षक (लेखा) को तत्काल प्रभाव से संपदा निदेशालय में संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है।

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Directorate Of Estates)****NOTIFICATION**

New Delh, the 12th August, 2026

No. A-22013/1/2019-Admn.B.— In pursuance of the powers conferred by Section-3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971, the Central Government hereby appoints Sh. Mohit Sood, Superintendent (A/cs.) to act as Estate Officer in the Directorate of Estates with immediate effect.

RAVI KUMAR ARORA, Jt. Secy.